

कार्यालय—अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
आदेशांक वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/—/2018, लखनऊ, दिनांक : १५ नवम्बर—2018,

—:: आदेश::—

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम/द्वितीय/तृतीय लखनऊ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु दिनांक 03.12.18 से 07.12.18 तक श्री नरेन्द्र कुमार—IV एच०जे०एस०, न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम लखनऊ तथा श्री विजय कुमार, सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—2 कानपुर को सम्मिलित करते हुए खंड पीठ गठित की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह०—15.11.18

( प्रेम कला सिंह )

एच०जे०एस०,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा०क०अधि०/यु०पी०ग०/2358/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम/द्वितीय/तृतीय लखनऊ।

2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—2 कानपुर।

3—कमिशनर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्पयूटर) मुख्यालय।

5—सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से,

निबन्धक,  
वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।